

3. The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Period of Deputation including period of Deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by Deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. The appointment on deputation shall be governed by DOP&T OM No. 6/8/2009-Estt. (Pay-II) dated 17 Jun 2010 and its subsequent amendments, if any.


3. It is requested that the applications (in duplicate) in the enclosed proforma along with the complete and up-to-date CR dossiers or photocopies of ACRs/APARs of last five years (duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary) and Integrity Certificate (duly verified by an officer not below the rank of Deputy Secretary) of the officers who could be spared in the event of their selection may be sent so as to reach this office within 60 days of the date of publication of this advertisement in the Employment News. **Applications received late or without the ACRs/APARs, Integrity Certificate, Cadre Clearance and Vigilance Clearance or otherwise found incomplete will not be considered.** While forwarding the applications, it may be verified and certified by the Cadre Controlling Authority that the particulars furnished by the officer are correct and that no disciplinary/vigilance case is pending or contemplated against the officer. It must also be certified that honesty and integrity of the officer is satisfactory and no major/minor penalty has been awarded to him during the last 10 years.

6. All Ministries/Departments are requested to circulate this vacancy circular to all the offices under their administrative control.

7. The Curriculum Vitae proforma can be downloaded from our website www.caomod.nic.in

NOTE : CANDIDATES WHO ONCE APPLY FOR THE POST WILL NOT BE ALLOWED TO WITHDRAW THEIR CANDIDATURE.

Yours faithfully


(Z S Koireng)
Deputy Director
CAO/R-I & R-III
For JS & CAO

COPY TO:

All Coord Sections of Integrated HQ of MoD (Army)

DPO/AOP Branch, Integrated HQ of MoD(Air)

DOP/COP Branch , Integrated HQ of MoD (Navy)

All Coord Section of IS Orgns

All Sections in the Office of JS & CAO

CAO/P-2

सं. ए/49828/एसओ/एफपीडी/मुप्रअ/भर्ती-1

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी कार्यालय

हाल न.1, प्रथम तल, ए-ब्लॉक
रक्षा कार्यालय परिसर, अफ्रीका एवेन्यु
(नजदीक एस एन बस डिपो) नई दिल्ली - 110023
दिनांक : 27 फरवरी 2024

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

विषय:- सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग, रक्षा मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर भंडार अधिकारी के एक पद को भरे जाने हेतु।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित शर्तों पर, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 07 में भंडार अधिकारी (साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह -ख, राजपत्रित, अननुसचिवीय) सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग, रक्षा मंत्रालय के एक पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर तीन वर्ष के लिए भरा जाना है :-

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी:

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में सद्रश पद धारण किये हुए है; या
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-06 (पांचवे वेतन आयोग के अनुसार रुपये 5500-9000/- का वेतनमान) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो; या
(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-05 (पांचवे वेतन आयोग के अनुसार रुपये 5500-8000/- का वेतनमान) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष सेवा की हो;

और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, अर्थात्:-

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्विद्यालय से डिग्री या समतुल्य।
(ii) सामग्री प्रबंध/भंडार से संबंधित अधिमानतः चलचित्र/फोटोग्राफी उपस्कर का पर्यवेक्षित हैसियत में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव।

2. कार्य रूपरेखा: भंडार अधिकारी सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग के पद हेतु नियत किए गए कर्तव्यों का संक्षिप्त व्योरा इस प्रकार है:

1. भंडार अनुभाग का पर्यवेक्षण। 2. कच्चे स्टॉक, उपकरण और भंडार की खरीद, अनुरक्षण, निर्गम और लेखा। 3. अग्रदाय/नकद का अनुरक्षण और लेखा तथा विलों का प्रसंस्करण। 4. फिल्म प्रयोगशालाएं, वीडियो स्टूडियो, प्रशिक्षण फिल्मों के निर्माण से संबंधित फिल्म निर्माण संस्थाओं के साथ पत्राचार।

27.02.2024
जि. ए. कोरेण्ग (ZS KOIRENG)
उप निदेशक (भर्ती-1 एवं 3)
Dv. Director/1-1 & III
संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी कार्यालय
C/O: IS & CAO
रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली-110011
Ministry of Defence, New Delhi-110011

3. पोषक प्रवर्ग के ऐसे अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतय तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 6/8/2009-Estt(PayII) दिनांक 17-6-2010 एवं इसके अनुवर्ती संशोधनों, यदि कोई हो, के अनुसार होगी।


4. अनुरोध है की संलग्न प्रपत्र में ऐसे अधिकारियों जिन्हें चयन होने की स्थिति में कार्यमुक्त किया जा सके के आवेदनपत्र (दो प्रतियों में) पिछले पाँच वर्षों के पूर्ण एवं अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोसियरों अथवा वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/ ए पी ए आर की फोटोप्रतियों सहित (जो कम से कम अवर सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित) सत्यानिष्ठा प्रमाणपत्र सहित (उप सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित) इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर इस कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए। देरी से पहुँचने वाले, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/ ए पी ए आर, सत्यानिष्ठा प्रमाणपत्र, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी की अनापत्ति (कैडर क्लीयरेंस), सर्तकता अनापत्ति प्रमाण पत्र के बगैर अथवा किसी अन्य प्रकार से अछूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन अग्रेषित करते समय संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा यह सत्यापित एवं प्रमाणित किया जाना चाहिए की अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है एवं उनके खिलाफ कोई अनुशासनिक/सर्तकता संबंधी मामला लंबित अथवा विचाराधीन नहीं है। यह भी प्रमाणित किया जाएगा कि अधिकारी की ईमानदारी एवं सत्यानिष्ठा संतोषजनक है एवं पिछले 10 वर्षों में उस पर कोई बड़ा/छोटा जुर्माना नहीं लगाया गया है।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इस रिक्ति परिपत्र को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी संगठनों, विश्विद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्तशासी संगठनों में प्रचालित करें।

6. जीवनवृत्त का प्रारूप हमारी वेबसाइट www.caomod.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

टिप्पणी :- पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भवदीय,


(जेड एस कोइरिंग)

उप निदेशक, मुप्रअ/ भर्ती-1 एवं 3
कृते संयुक्त सचिव एवं मुप्रअ

प्रतिचालन :-

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना) के सभी समन्वय अनुभाग
डी पी ओ/ ए ओ पी शाखा, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (वायुसेना)
डी ओ पी/ सी ओ पी शाखा, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (नौसेना)
सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग, रक्षा मंत्रालय
अंतर सेवा संगठनों के सभी समन्वय अनुभाग
विदेशी भाषा विद्यालय, रक्षा मंत्रालय
मुप्रअ/का-2 – सूचनार्थ
मुप्रअ/ई डी पी – मुप्रअ कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।